

संपादकीय

बिहार में भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े ब्रिज

जहां पुलों के लगातार ढहने की जांच कर जरूरी कार्रवाई की जाती, बाकी पुलों के रखरखाव और नए पुलों के निर्माण में भ्रष्टाचार खत्म करके उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती, वहीं इस मसले पर नाहक सियासी बयानबाजियां शुरू हो गईं। ढह गए पुलों की जिम्मेदारी पर सियासत क्या इस समस्या का समाधान है?

बिहार में मानसून की शुरुआत में ही एक के बाद एक पुलों के ध्वस्त होने की घटनाओं के बाद राज्य सरकार हरकत में आई और जल संसाधन तथा ग्रामीण कार्य विभाग के पंद्रह अभियंताओं को निर्लेंबित कर दिया। गौरतलब है कि राज्य में बीते कुछ दिनों के भीतर विभिन्न इलाकों में नए-पुराने दस पुल ढहने की खबर आ चुकी है। हैरानी की बात है कि ध्वस्त पुलों में कुछ निर्माणाधीन थे। सवाल है कि बिहार की मौजूदा सरकार अपने जिस सुशासन के दावे अक्सर करती रहती है, उसमें लगातार पुलों के ढहने को कैसे देखा जाए। कुछ वर्ष पहले बने या फिर निर्माणाधीन पुल अगर इस तरह गिर गए, तो इसके पीछे घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार के अलावा और क्या वजह हो सकती है? विडंबना है कि जहां पुलों के लगातार ढहने की जांच कर जरूरी कार्रवाई की जाती, बाकी पुलों के रखरखाव और नए पुलों के निर्माण में भ्रष्टाचार खत्म करके उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती, वहीं इस मसले पर नाहक सियासी बयानबाजियां शुरू हो गईं। ढह गए पुलों की जिम्मेदारी पर सियासत क्या इस समस्या का समाधान है?

दरअसल, भ्रष्टाचार के ये पुल सुशासन के दावों की हकीकत बता रहे हैं। लगातार पुलों के गिरने की घटनाओं पर कठधरे में घिरी सरकार का कहना है कि उसके अधीन निर्मित जो पुल गिरे हैं, उनका जिम्मा संभालने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सवाल है कि जब इन पुलों का निर्माण हो रहा था तो संबंधित विभाग ने इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जरूरत क्यों नहीं समझी। इस बात की क्या गारंटी है कि कोई दूसरा ठेकेदार पुल के निर्माण की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगा? पुलों के गिरने की घटनाओं को लेकर गठित जांच समिति ने अपनी शुरुआती रपट में कहा है कि विभागीय अधिकारियों ने निर्माण कार्य की निगरानी करने और बाद में पुलों की देखरेख में लापरवाही बरती। इसी रपट के आधार पर पंद्रह अभियंताओं को निर्लेंबित किया गया है। मगर क्या सिर्फ संबंधित अधिकारियों को निर्लेंबित कर देने से इस की समस्या का समाधान हो जाएगा? भ्रष्टाचार के जिस जाल की वजह से ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं, उस पर प्रहार किए बिना इसका हल कैसे निकलेगा?

क्या पुतिन को मोदी की युद्ध नहीं, शांतिपूर्ण वार्ता की नसीहत समझ आएगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस की दो दिवसीय यात्रा में अपने सखा व्लादिमीर पुतिन को रूस-यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक नायाब नसीहत दी है। यह नसीहत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन को भले रुचिकर न लगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने परम मित्र और विशिष्ट अतिथि नरेन्द्र मोदी की नसीहत शिरोधार्य करने में किंचित देर नहीं लगाई। मोदी अपने मित्र के हाथों रूस के सब से बड़े सम्मान पत्र-पुष्प और अद्भुत भोज ग्रहण कर अगले ही दिन अपने अगले पड़ाव आस्ट्रिया की राजधानी विएना के लिए निकल गए। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी पहली खुशनुमा यात्रा से एक दिन पहले यूक्रेन में एक बच्चों के बड़े अस्पताल पर रूसी सेना के मिसाइली हमले में बच्चों की दिल दहलाने वाली मौत और बच्चों के लहलुहान होने की खबरें देखी, सुनीं तो वह अंदर तक आहत हुए बिना नहीं रह सके।

इस हृदय विदारक घटना की दुनिया भर के मानवतावादी खेमों में तो रूस की कड़ी निंदा हुई ही, वाशिंगटन में 75वें नाटो शिखर सम्मेलन में भी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नाटो देशों के प्रतिनिधियों ने भी कड़ी निंदा की। ऐसी स्थिति में नई दिल्ली जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम् का उद्घोष करने और महात्मा गांधी के जन-जन तक शांति और सद्भाव का मंत्र फूंकने को आतुर नरेन्द्र मोदी भला बच्चों की अकाल मृत्यु और रक्त रंजित बच्चों के दोषी एवं अपने ही मित्र को नसीहत देने से कैसे बच सकते थे उन्होंने रूस के सबसे बड़े एंड्रयुज नागरिक सम्मान ग्रहण करने से पहले पुतिन को नसीहत दे डाली। उन्होंने बड़े

नजरिया



स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्ध समस्या का हल नहीं है। इसके लिए मिसाइली हमलों की नहीं, दोनों पक्षों के लिए शांति और सद्भाव से वार्ता एक मात्र विकल्प है। इसके लिए मोदी ने पुतिन से मदद का हाथ बढ़ाया। इस पर पुतिन ने भी उसी गर्मजोशी से मित्र मोदी की नसीहत का सम्मान करते हुए उनका आभार भी जताया। हमें यहां यह भूलना नहीं चाहिए कि दुनिया में एक और जहां इंग्लैंड और फ्रांस और अमेरिकी नेता लोकतंत्र की दहलीज पर लुढ़क-पुढ़क रहे हैं, वहीं नरेन्द्र मोदी दुनिया के सब से बड़े लोकतंत्र में लोगों का विश्वास मत जीत कर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। देशवासियों को भी यह बात समझ आ गई है कि मोदी ने पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन की तिकड़ी को भी एक संदेश में अग्रज की भूमिका निभाई है। यह बात पुतिन, शी जिनपिंगऔर किम जोंग उन

जनसंख्या

संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत के संदर्भ में देखें तो तेजी से बढ़ती आबादी के कारण ही हम सभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को पहुंचाने में पिछड़ रहे हैं। बढ़ती आबादी की वजह से ही देश में बेरोजगारी की समस्या विकराल हो चुकी है। हालांकि विगत दशकों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार जुटाने के कार्यक्रम चलाए गए लेकिन बढ़ती आबादी के कारण ये सभी कार्यक्रम ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुए। बढ़ती जनसंख्या के कारण ही देश में आबादी और संसाधनों के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा है। हकीकत यही है कि विगत दशकों में देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ी, उस गति से कोई भी सरकार जनता के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने की व्यवस्था करने में सफल नहीं हो सकती थी।

आज देश की बहुत बड़ी आबादी निम्नस्तर का जीवन जीने को विवश है। देश में करीब 40 फीसदी आबादी आजादी के बाद से ही गरीबी में जी रही है। गरीबी में जीवन गुजार रहे ऐसे बहुत से लोगों की यही सोच रही है कि उनके यहां जितने ज्यादा बच्चे होंगे, उतने ही ज्यादा कमाने वाले हाथ होंगे किन्तु यह सोच वास्तविकता के धरातल से परे है। लगातार बढ़ती महंगाई के जमाने में परिवार बढ़ा होने से कमाने वाले हाथ ज्यादा होने पर जितनी आय बढ़ती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरतें और विभिन्न उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिनकी पूर्ति कर पाना सामर्थ्य से परे हो जाता है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए सर्वाधिक जरूरी यही है कि घोर निर्धनता में जी रहे ऐसे लोगों को परिवार नियोजन कार्यक्रमों के महत्व के बारे में जागरूक करने की ओर खास ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब तक इस

दृष्टिकोण



11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पर विशेष

कार्यक्रम में इन लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। देश में जनसंख्या वृद्धि का मुकाबला करने के लिए पिछले काफी समय से कुछ कड़े कानून बनाने की मांग हो रही है, लेकिन इस दिशा में कुछ राज्य सरकारों दो से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को सरकारी नौकरी तथा स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारी से अयोग्य अधोषित करने जैसे जिस तरह के उपायों पर विचार कर रही हैं, उन्हें किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। हालांकि जनसंख्या वृद्धि मौजूदा समय में गंभीर चुनौती है लेकिन ऐसे उपायों को संवैधानिक नजरिये से भी तर्कसम्मत नहीं माना जाता। चीन में 1980 से पहले केवल एक बच्चा पैदा करने की अनुमति थी, जिसका उल्लंघन करने पर दम्पति को न केवल सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाता था बल्कि सजा भी दी जाती थी लेकिन वहां यह नीति सफल नहीं हुई। इसीलिए चीन सरकार ने 2016 में इस नीति में बदलाव कर दो बच्चों की अनुमति दी और बाद में तीन बच्चों की अनुमति देनी पड़ी। चीन की तानाशाही सरकार द्वारा नीतियों में बड़ा बदलाव करते हुए दम्पतियों को तीन बच्चे करने की अनुमति क्यों दी गई, इसके कारण समझना भी जरूरी है। दरअसल वहां

लोगों की सामान्य प्रजनन दर में निरन्तर गिरावट आ रही है और विशेषज्ञों के मुताबिक यही स्थिति भारत में भी होनी है। जनसंख्या में स्थायित्व और कामकाजी युवाओं की स्थिर संख्या के लिए महिलाओं की सामान्य प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए और चीन में यह दर निरन्तर गिर रही है। 1970 में चीन में यह दर 5.8 थी, जो 2015 में घटकर 1.6 और 2020 में केवल 1.3 ही रह गई जबकि बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ती गई। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स (एनबीएस) के अनुसार आने वाले समय में आबादी में अधिक उम्र वालों की संख्या बढ़ने से संतुलित विकास और जनसंख्या को लेकर दबाव बढ़ेगा। 1982 में हुई जनगणना में चीन की जनसंख्या में 2.1 फीसदी की सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी लेकिन उसके बाद जनसंख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई, जिसके लिए वहां की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा अपनाई गई दशकों पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी को जिम्मेदार माना जाता है। विगत एक दशक में चीन की जनसंख्या की हक में नहीं है 'सीमा पर शांति हमेशा बनानी पड़ती है।' इस लिहाज से दोनों पक्षों में इस बात पर भी सहमति बनी कि कूटनीतिक और सैन्य अधिकारियों की मीटिंग जारी रखी जाए।

देखा जाए तो मई-जून 2020 में सीमा पर कई इलाकों में चीनी सेना के आगे बढ़ आने और गलवान घाटी में भिड़ंत होने के बाद तनावों के बीच भी दोनों पक्षों में बातचीत जारी रही। एलएसी पर बने गतिरोध को खत्म करने के लिए वर्किंग मेकेनिज्म फॉर कंस्ट्रक्शन एंड कोऑर्डिनेशन की दो दर्जन से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। कोर कमांडर लेवल पर भी 21 दौर की बातचीत हो चुकी है। कुछ मसले सुलझे भी हैं। लेकिन डेपेंसिंग और डेमकंग जैसे पॉइंट पर मतभेद बने हुए हैं, जिसकी वजह से सीमा पर दोनों ओर बढ़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती बरकरार है। है कि क्या चीनी पक्ष इस बात को लेकर सचमुच गंभीर है कि बातचीत का कोई हल भी निकले। संदेह की वजह यह भी है कि उसकी तरफ से पिछले कुछ समय से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सीमा पर जो भी मतभेद हैं उन्हें दरकिनार करते हुए दोनों देशों को आपसी संबंध सामान्य बनाने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। इस पर भारत अपना रुख साफ कर चुका है और उस पर अडिग है कि जब तक सीमा पर जारी गतिरोध को दूर नहीं कर लिया जाता तब तक दोनों देशों के रिस्ते सामान्य हो ही नहीं सकते।

आजकल

क्या है चीन की नियत..?

चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की शंघाई सहयोग संगठन की अस्ताना बैठक में एलएसी पर गतिरोध खत्म करने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाने पर सहमति जताई है।

कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत को एक पॉजिटिव संकेत तो माना जा सकता है, लेकिन दोनों देशों के रिस्तों में सुधार की ठोस उम्मीद के लिहाज से देखा जाए तो उसके लिए अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है।

पहली बात तो यह कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात इस बीच जरूर हुई है, लेकिन उनकी बैठक एक साल बाद हो रही थी। बैठक की सार्थकता इस बात में भी है कि पहली बार दोनों पक्षों ने महसूस किया, एलएसी पर गतिरोध का लंबा खिंचना किसी के हक में नहीं है और यह कि 'सीमा पर शांति हमेशा बनानी पड़ती है।' इस लिहाज से दोनों पक्षों में इस बात पर भी सहमति बनी कि कूटनीतिक और सैन्य अधिकारियों की मीटिंग जारी रखी जाए।

देखा जाए तो मई-जून 2020 में सीमा पर कई इलाकों में चीनी सेना के आगे बढ़ आने और गलवान घाटी में भिड़ंत होने के बाद तनावों के बीच भी दोनों पक्षों में बातचीत जारी रही। एलएसी पर बने गतिरोध को खत्म करने के लिए वर्किंग मेकेनिज्म फॉर कंस्ट्रक्शन एंड कोऑर्डिनेशन की दो दर्जन से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। कोर कमांडर लेवल पर भी 21 दौर की बातचीत हो चुकी है। कुछ मसले सुलझे भी हैं। लेकिन डेपेंसिंग और डेमकंग जैसे पॉइंट पर मतभेद बने हुए हैं, जिसकी वजह से सीमा पर दोनों ओर बढ़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती बरकरार है। है कि क्या चीनी पक्ष इस बात को लेकर सचमुच गंभीर है कि बातचीत का कोई हल भी निकले। संदेह की वजह यह भी है कि उसकी तरफ से पिछले कुछ समय से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सीमा पर जो भी मतभेद हैं उन्हें दरकिनार करते हुए दोनों देशों को आपसी संबंध सामान्य बनाने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। इस पर भारत अपना रुख साफ कर चुका है और उस पर अडिग है कि जब तक सीमा पर जारी गतिरोध को दूर नहीं कर लिया जाता तब तक दोनों देशों के रिस्ते सामान्य हो ही नहीं सकते।

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की गवर्निंग काउंसिल ने मुस्लिम छात्रों से स्कूलों में शिर्क (बहुदेववाद) माने जाने वाले व्यवहार, आचरण का विरोध और गैर-इस्लामिक गतिविधियों में किसी भी मुसलमान को भाग नहीं लेने के लिए कहा है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने छात्रों और उनके परिवारों को निर्देश दिया है कि अगर उन पर किसी भी प्रकार की प्रार्थना और सूर्य नमस्कार जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए कहा जाता है तो वे ऐसा न करें और ऐसा करने के लिए यदि मजबूर किया जाता है तो उसका खुलकर विरोध करते हुए आगे कानूनी कार्रवाई भी करें। ये इस्लामी संगठन राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा प्रणाली में सूर्य नमस्कार, सरस्वती पूजा, हिंदू गीत, श्लोक या तिलक लगाने का विरोध करता है और कहता है, इस्लाम का मूल विश्वास तौहीद (एकेश्वरवाद) है और मुसलमान

अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा स्वीकार नहीं कर सकते। मूर्ति पूजा, तस्वीर या किसी भी तरह की प्रार्थना (नमाज को छोड़कर) उसका कोई विश्वास अन्य पर नहीं और न ही होना चाहिए।

अब जमीयत उलेमा-ए-हिंद संगठन ने आज जो कहा है, उससे एक तो यह साफ हो गया कि भारत की प्राचीन परंपरा, संस्कृति, जोकि सनातन हिन्दू सभ्यता जिसमें प्रकृति पूजन भी है, बहुदेव पूजा विधान और एकेश्वर ब्रह्म की दृष्टि भी है से वह मुसलमानों को पूरी तरह से विलग करना चाहती है। दूसरा यह कि भारत के मुसलमानों को एक पहचान की खास फ्रेम में बांध देना ही इसका उद्देश्य है, जहां से बाहर निकलने की उसके लिए कोई गुंजाइश न रहे। कुल मिलाकर देश की दूसरी सबसे बड़े जनसंख्या वर्ग मुसलमान को असहिष्णु हो जाने के मार्ग पर जमीयत ले चला है। किंतु

हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, उससे पहले कुछ जिज्ञासाएं हैं; उनके उत्तर हर मुसलमान जरूर सोचे। वास्तव में जो जमीयत उलेमा-ए-हिंद तौहीद (एकेश्वरवाद) की बात करते हुए कह रहा है कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा स्वीकार नहीं कर सकते, मूर्ति-चित्र पूजा का वह विरोध करता है, तब उसे यह विचार अवश्य करना चाहिए कि मुस्लिम घरों में जो मक्का-मदीना, का चित्र लगा होता है, लोग अरबी आयतें लिखकर उसके चित्र बनाकर घरों में लगाते हैं। एक पवित्र अंक संख्या मानकर उसके चित्र बनाकर घरों में टांगते हैं, तब उस स्थिति में वह चित्र के माध्यम से किसके सामने सिर झुकाते हैं क्या चित्र एक स्वरूप नहीं अल्लाह, आंखों से दिखाई नहीं देता, उसे अनुभूत किया जा सकता है, वह भी प्रार्थना के स्तर पर उसके प्रति कृतज्ञ हुआ जा सकता है, ऐसे में

उसी को ध्यान में रखकर पश्चिम की ओर मुंह करके क्यों प्रत्येक मुसलमान नमाज अदा करता है क्या यह इसलिए है, क्योंकि वहां पवित्र काबा है। अब जिस इमारत को पवित्र मानकर मुसलमान प्रार्थना करता है, वह इमारत क्या एक स्वरूप नहीं है यदि है तो फिर उसे या अन्य किसी भी प्रकार रखनेवालों से यह किस तरह से भिन्न है अंततः काबा या खाने काबा (अरबी उच्चारण काआबा) मक्का, सउदी अरब में स्थित एक घनाकार (क्यूब के आकार की) इमारत ही तो है, जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना गया है।

इस्लामी परंपरा के अनुसार इस भवन को सबसे पहले स्वयं इब्राहिम ने बनाया था। यह इमारत, मक्का के मस्जिद-अल-हरम के बीचो-बीच स्थित है। कुरान और इस्लामी शरिया के अनुसार दुनिया के सारे मुसलामानों पर यह लागू है, पवि

नमाज के समय काबा की ओर मुंह कर के नमाज अदा करें। हज तीर्थयात्रा के दौरान भी मुस्लिमों को तवाफ नामक महत्वपूर्ण धार्मिक रीत पूरी करने का निर्देश है, जिसमें काबे की सात परिक्रमा की जाती हैं। वास्तव में सच यही है कि जिस तौहीद की बात जमीयत करता है, उसे या अन्य किसी भी प्रकार के लिए भी अपने को अभिव्यक्ति देने हेतु किसी न किसी स्वरूप की आवश्यकता है और यह जरूरत अपने भाव एवं शब्दों से उस प्रकृति, जिसके कारण से हमारा अस्तित्व है एवं उन सभी के लिए नमन करने की है, जिसके कारण से हमारे होने का अस्तित्व है।

हिन्दू या अन्य पंथ, धर्म के लोग प्रार्थना के लिए अपने स्वभाव के अनुरूप देव आराधना को स्वीकारते हैं। जैसे हर विषय के अलग-अलग विशेषज्ञ हैं, वैसे ही हिन्दू दृष्टि और बहुदेव आराधना में हर देवता की

अपनी विशेषज्ञता है, जब दो जुड़वां भाई-बहन एक स्वभाव एवं रुचि के नहीं हो सकते, तब उनके आदर्श प्रतिमान, आराधना देव एक कैसे हो सकते हैं, इसलिए हिन्दू दृष्टि में देवताओं के विविध स्वरूप हैं और जिस किसी को भी अपने चरित्र में विशेषता प्राप्त करनी है, वह उस देवता के चरित्र से स्वभाविक तौर पर आकर्षित होता है और देवता के रूप में उसकी आराधना करते हुए स्वयं को सतत उस दिशा में श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। हकीकत यही है कि प्रार्थना का स्वरूप कोई भी क्यों न हो, वह आखिर बाहर से अंदर की यात्रा है। प्रार्थना करना कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ ही है, परमात्मा का मनन और उसकी अनुभूति, परम की प्राप्ति। प्रार्थना राग-द्वेष से मुक्त है। प्रार्थना यानी पवित्रता के साथ किया गया अर्चन। प्रार्थना हृदय की

उच्चावस्था है, इसलिए प्रार्थना का उत्स हृदय को बताया गया है। ऐसे में जिस ईश्वर की भी हम पूजा करते हैं वह सिर्फ सिद्धांत, दर्शन या विचारधारा नहीं है, न ही वह कोई खोखला चरित्र या व्यर्थ मूर्ति है, उसके मायने इससे कहीं अधिक हैं। वह हाव, पानी और ध्वनि की तरह वास्तविक है। जिस तरह हवा, पानी और ध्वनि ब्रह्मांड में हैं, उसी तरह ईश्वर, जो आत्मा है, अनेक स्वरूपों में हमारे चारों ओर विद्यमान है। उसी ईश्वर को विविध प्रार्थना रूपों में हम याद करते हैं और उसके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह प्रार्थना एकेश्वरवादी हो या विविध देवताओं के लिए जोकि गुणधर्मी हैं। कुरान का पहला अध्याय सूरा फातिहा यह प्रकट करता है, अल-हम्दु लिअल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर-रह्मा अररहिम। अर्थात सारी प्रशंसा उस अल्लाह (ईश्वर) के लिये हैं, जो सारे जगत का रब (पालने वाला) है, और वह अमित दयावान और कृपाशील है।